

# पुलिस विभाग अजमेर

—: प्रेस नोट :—

दिनांक 11.10.2017

अन्दर कोट मे ताश पति से जुआ खेलते 7 ब्यक्ति  
गिरफ्तार एवं 10,100 / रूप्ये जप्त



पुलिस थाना दरगाह में पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह एवं पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश मीणा वृत्ताधिकारी वृत्त दरगाह अजमेर के निर्देशन मे अवैध जुआ सट्टा कारोबारियो पर लगाम लगाने की कडी में आज दिनांक 10.10.2017 को थानाधिकारी मानवेन्द्रसिंह मय कानि महेन्द्रसिंह, विजेश , जितेन्द्र , इकबाल, की टीम द्वारा कानि महेन्द्रसिंह की सुचना पर

दबिश देते हुऐ अन्दर कोट में नई सडके के पास इच्चु के मकान के सामने ताश पति से जुआ खेलते 1 शेख मोहम्मद फजर पुत्र शेख मोहम्मद उमर उम्र 36 साल निवासी तोसवी चौक अन्दर कोट दरगाह अजमेर 2 शेख ताहिर मोहम्मद पुत्र श्री शेख नासिर मोहम्मद उम्र 40 साल जाति मुसलमान निवासी तोसवी चौक अन्दर कोट दरगाह अजमेर 3 मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अकबर अली उम्र 25 साल निवासी भाटा-भाव तालाब के पास अन्दर कोट दरगाह अजमेर 4 वसीम पुत्र श्री मोहम्मद अली उम्र 30 साल निवासी भाटा-भाव तालाब के पास अन्दर कोट दरगाह अजमेर 5 डोमा पुत्र श्री अब्दुल सतार उम्र 24 साल निवासी गाव हुसैनपुर थाना हरिशचन्द्र पुर जिला मालदा प.बगाल हाल पीरो का चौक खादीम मोहल्ला दरगाह अजमेर 6 नासिर शेख पुत्र श्री हुसैन शाह उम्र 48 साल निवासी मोतामिल रोड नाजुक नगर आकोला थाना रामदस पेठ जिला आकोल महाराष्ट्र हाल हाशमी मजिल खादीम मोहल्ला दरगाहअजमेर 7 अब्दुल रहमान पुत्र श्री अलीहसन उम्र 37 साल जाति मुसलमान निवासी गाव चरखला पोस्ट चरखला थाना चरखला जिला कासरगोड केरला हाल नुर मोहम्मद हुसैन चाचा का मकान फुल बावडी अन्दर कोट दरगाह अजमेर को ताश पत्ती से जुआ खेलते पाये जाने पर कुल जुआ रकम 10,100/रूप्ये व ताश पत्ति जोडी को जप्त कर सातो व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया

# जुआ खेलते एक आरोपी

## गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में पप्पीनराम जाप्तो के उपस्थित थाना होकर एक टाईप शुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की की कि— ,पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पप्पीराम मय भागचन्द व सादा वस्त्रधारी प्रकाश चन्द अनुसंधान बॉक्स व्यक्तिगत लेपटॉप – प्रिन्टर व प्राईवेट वाहन के इलाका गश्त व जरायम कन्ट्रोल हेतु थाना अलवर गेट से रवाना होकर गश्त करते हुए सेन्ट पॉल स्कूल के पास नसीराबाद रोड़ पहुंचे जहाँ पर मुखबीर खास ने मन हैड को सूचना दी कि भैरूजी मन्दिर के पास नगरा में कौशल कुमार उर्फ लालु नाम का व्यक्ति जो नीले रंग का टी शर्ट व काली पेन्ट पहने हुए है, सट्टे की पर्चिया काटकर खाईवाली कर रहा है, तुरन्त दबिश दी जावे तो पकड़ में आ सकता है । मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने पर हमराही जाप्ता को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए प्रकाश रवाना किया जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि कोर्ट, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ने व स्थानीय मामला होने से कोई गवाह नहीं मिला जिस पर हमराही जाप्ता में से श्री भागचन्द प्रकाश चन्द को गवाह मामूर कर सेन्ट पॉल स्कूल नसीराबाद रोड़ से रवाना होकर र नगरा पहुंचा व सादा वस्त्रधारी श्री प्रकाश चन्द कानि. हैड कानि ने एक 10 रूपये का नोट जिसके सीरियल नम्बर 27 / 965741 पर अपने लघु हस्ताक्षर कर अंक 6 पर सट्टा लगाने व सट्टा लगाकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत कर रवाना किया व

जाप्ता के दुकानों की आड में खड़ा होकर ईशारे का इन्तजार करने लगा । प्रकाश चन्द ने भैरूजी मन्दिर के पास मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति के पास जाकर सट्टा लगाकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा किया । प्रकाश चन्द का ईशारा मिलते ही हैड कानि मय जाप्ता के भागकर सट्टा खाने वाले व्यक्ति को घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो अपना नाम कौशल कुमार उर्फ लालु पुत्र स्व. सोहन सिंह जाति कोली उम्र 45 साल निवासी गुर्जर धरती नगरा अजमेर का होना बताया जिसकी तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के दाहिने हाथ में आसमानी रंग का म्छज़लैन्स्ज्। ळमस बाल पैन व बायें हाथ में सट्टा पर्ची मिली जिस पर ज़ॆ दिनांक 10.10.17 अंक 1-20 2-20 3-20, 4-20 5-20 6-10 7-10 8-100 व कौशल कुमार लिखा हुआ एवं उक्त व्यक्ति की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 50 – 50 रूपये के दो नोट 100 का 1 नोट व 10-10 रूपये का दो नोट कुल रकम सट्टा 220 रूपये मिले जिनमें अंक 6 पर लगाया गया 10 रूपये का मन हैड कानि द्वारा लघु हस्ताक्षरित व नम्बरी नोट मिला । उक्त शक्स कौशल कुमार उर्फ लालु द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की पर्चिया काटकर खाईवाली करना जुर्म धारा 13 आरपीजीओ के तहत दण्डनीय अपराध होने से रकम सट्टा 220 रूपये व असयाय सट्टा बाल पैन, सट्टा पर्ची को बतौर वजह सबूत जरीये फर्द जब्ती के जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का । अंकित किया गया व फर्द जब्ती पृथक से मूर्तिब की गई । अभियुक्त श्री कौशल कुमार उर्फ लालु द्वारा संज्ञेय अपराध करता हुआ पाया जाने व दूसरे अपराध करने से रोकने के लिए धारा 41(1) सीआरपीसी के प्रावधानों के अधीन गिरफ्तारी आवश्यक होने से अभियुक्त को अपने जुर्म से आगाह कर माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए अदम अदखाल जमानत जरीये फर्द गिरफ्तारी के पृथक से गिरफ्तार किया गया व मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर मन हैड कानि. मय जाप्ता, अदम अदखाल जमानत गिरफ्तार शुदा अभियुक्त

श्री कौशल कुमार उर्फ लालु, शील्ड पैकिट मार्का । व मूर्तिबा फर्दात के घटनास्थल से रवाना होकर हाजिर थाना आया हूं । अतः रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही हेतु की सेवा में पेश है पुलिस थाना अलवरगेट जिला अजमेर कार्यवाही पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर आदि रिपोर्ट पर मु नं 355/17 धारा 13 आरपीजीओं में दर्ज कर अनुसंधान हैका राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आरम्भ किया गया ।

## कुएँ में गिरने से लडके की मृत्यु



पुलिस थाना जवाजा में तारागढ गांव में 1.राकेश पुत्र दिलीप सिंह उम्र 08 साल की कुएँ में गिरने से हुयी मृत्यु

# ‘शांति भंग के आरोप में सात आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना मसूदा में श्रवणसिंह पुत्र सुरता जाति रावत उम्र 52 साल निवासी प्रतापपुरा दृ 2 थाना मसूदा जिला अजमेर 2. श्रीसांवर सिंह पुत्र नैनूसिंह जाति रावत उम्र 21 साल निवासी प्रतापपुरा दृ 2 थाना मसूदा जिला अजमेर 3. श्री पप्पूत सिंह पुत्र नैनूसिंह उम्र 19 साल जाति रावत निवासी प्रतापपुरा दृ 2 थाना मसूदा जिला अजमेर 4. श्री बन्नात नाथ पुत्र अमरनाथ जाति कालबेलिया उम्र 36 साल निवासी डांगेश्वार कालोनी मसूदा थाना मसूदा जिला अजमेर को 151 जा फौ व 1. श्री अर्जुन पुत्र श्री कल्याण उम्र 25 साल 2. श्री मुकेश पुत्र श्री कल्याण उम्र 20 साल 3. श्री मनोज पुत्र श्री कल्याण उम्र 19 साल तीनों जातियान सिकलीघर लुहार

निवासीगण भैरुगेट सावर रोड केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को धारा 109, 151 जा फौ में गिर फतार किया गया ।

## शांती व्यवस्था भंग करने पर 1 व्यक्ति गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में शांती व्यवस्था भंग करने पर श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी चारभुजा मंदिर के पास दौराई थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया ।

पुलिस थाना अरांई में शान्ति भंगके आरोप में (1) रामराज पुत्र कानाराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी दादिया पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर (2) भंवर लाल पुत्र हरकरण जाति जाट उम्र 50 साल निवासी दादिया पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर (3) श्री बालुराम पुत्र श्री भंवर लाल जाति जाट उम्र 21 साल निवासी दादिया पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर (4) श्री नौरत पुत्र श्री छोटु जाति जाट उम्र 50 साल निवासी दादिया पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर (5) श्री महावीर पुत्र श्री सुखाराम जाति नायक उम्र 45 साल निवासी मोतीपुरा पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर (6) अनिल पुत्र श्री महावीर जाति नायक उम्र 22 साल निवासी मोतीपुरा पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर (7) श्री जयराम पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी मोतीपुरा पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर एंव (8) श्री घीसाराम पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट उम्र 55 साल निवासी मोतीपुरा पुलिस थाना अरांई, जिला अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 जा.फौ. में गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस थाना अलवर गेट में आज दिनांक को 8 वाहन चालक द्वारा नियम विरुद्ध वाहन को बिना हेलमेट पहने हुए वाहन को चलाते पाये जाने पर एमवी एक्ट में वाहन चालाक के विरुद्ध कार्यवाही की गई व 1 व्यक्ति को

नशे शराब में रोड पर राहगीरों को पेशान करते पाये जाने पर 60 पुलिस एक्ट का चालान किया गया।